Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *56/2014*

श्री साजिद अहमद .....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री साजिद अहमद– (अनुपस्थित)

(2) उत्तरदाता–डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,बीकानेर।(उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती दिनांकः 13.08.2014
(ii) निर्णय दिनांकः 15.09.2014

निर्णय

अपीलार्थी श्री साजिद अहमद ने दिनांक 11.07.2014 को कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष आवेदन प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक एफ.(455) राजुवास/रजि./आर.टी.आई./2014/268 दिनांक 06.08.2014 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2014 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 11.07.2014) का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वांछित सूचना	लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 06.08.2014 को प्रेषित प्रत्युत्तर
(i)	श्रीमान् Gazetee Notification 23/9/97 की अनुपालना में वर्ष 1997 से 2012 तक ली गई RPVT परीक्षा में वर्षवार कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया गया ?	इस संबंध में लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित गजट नोटिफिकेशन की कोई विशिष्टियां अंकित नहीं की गयी है न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए गजट नोटिफिकेशन की कोई प्रति सलंग्न की गयी है। प्रार्थना पत्र में अंकित गजट नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की जानकारी में नहीं है अतः इस बाबत कोई सूचना सही रूप में नही दी जा सकती।

(ii)	वर्ष 1997 से 2012 तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की Cut off marks की सूची मय खेल प्रमाण पत्रों के उपलब्ध करवाई जावें ?	आर.पी.वी.टी. में परीक्षार्थी का खिलाड़ी होना चयन का आधार नहीं है अपितु वरीयता के आधार पर चयन किया जाता है। वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग नहीं होने के कारण उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
(iii)	Gazetee Notification 15/3/2013 की अनुपालना में वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों का RPVT में चयन हुआ। चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम Cut of marks की सूची मय खेल प्रमाण पत्रों की सत्यापित कॉपी सहित नियत समयावधि दिलवाई जावे।	इस संबंध में लेख है आप द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित गजट नोटिफिकेशन की कोई विशिष्टियां (Specifications) अंकित नहीं की गयी है न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए गजट नोटिफिकेशन की प्रति सलंग्न की है। प्रार्थना पत्र में अंकित गजट नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की जानकारी में नही है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 06.08.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रेषित की गयी जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से नोटिस क्रमांक 293 दिनांक 28.08.2014 प्रेषित कर सुनवाई दिनांक 15.09.2014 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। सुनवाई दिवस को अपीलार्थी अनुपस्थित रहा तथा उत्तरदाता डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित हुए। दौरान बहस डॉ. राव, लोक सूचना अधिकारी द्वारा मेरे समक्ष कथन किया गया कि अपीलार्थी मुख्य रूप से आर.पी.वी.टी. में खिलाड़ियों के चयन के संबध में सूचना प्राप्त करना चाहता है जबकि आर.पी.वी.टी. में प्रवेश पूर्णतः वरीयता के आधार पर ही दिया जाता है तथा प्रवेश हेतु खिलाड़ियों के लिए पृथक् से कोई कोटा दिए जाने का प्रावधान नही है अतः वर्षवार चयन किए गए खिलाड़ियों की संख्या, खेल प्रमाण पत्रों की प्रतियां, Cut off marks की सूचना विश्वविद्यालय रिकॉर्ड में संधारित ही नहीं की जाती तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरदायी हैं तथा वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों का भाग नहीं है अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवायी गयी संभव नहीं अतः अपील खारिज की जानी चाहिए। इसके अलावा डॉ. राव लोक सूचना अधिकारी ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील के सलंग्न अधिसूचना दिनांक 22.09.1993 तथा 15.03.2013 की प्रति प्रेषित की गयी है जिनका उल्लेख उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी किया गया था लेकिन अधिसूचनाओं की कोई भी विशिष्टयां अंकित नहीं की गयी थी जिस कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। इस तथ्य का उल्लेख अपीलार्थी को प्रेषित प्रत्युत्तर में भी किया गया है। अब अपील में अलग से कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए जा सकते क्योंकि अपील सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की हद तक ही प्रस्तुत की जा सकती है अथवा सुनी जा सकती है अतः अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेज ग्राह्य किए जाने योग्य ही नही है। इसके अलावा यदि इन दस्तावेजो को ग्राह्य भी कर लिया जाता है तो भी गुणावगुण के आधार पर भी अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि RPVT में खिलाड़ियों को प्रवेश में कोई कोटा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार वर्णित नहीं किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इन कारणों

से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर विधि सम्मत नहीं है अतः अपील खारिज की जानी चाहिए।

मैनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का अवलोकन किया। मेरे मत में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि विश्वविद्यालय में वांछित सूचना से संबधित कोई अभिलेख सूचीबद्ध अथवा संधारित नहीं किया जाता क्योंकि RPVT में प्रवेश केवल मात्र वरीयता के आधार पर ही दिया जाता है जिसमें वरीयता का आधार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक होते है। जब प्रवेश प्रक्रिया में खिलाड़ियों के लिए कोई पृथक् से कोटा ही निर्धारित नहीं है एवं इस बाबत कोई रिकॉर्ड विश्वविद्यालय में संधारित नहीं किया जाता अतः इससे संबधित कोई भी सूचना नहीं उपलब्ध करवायी जा सकती। इसके अलावा अपील के संलग्न अधिसूचना प्रेषित किए जाने से भी कोई औचित्यता सिद्ध नहीं होती क्योंकि अपीलार्थी द्वारा संलग्न की गयी अधिसूचना सेवा नियमों (Service Rules) से संबधित है जबकि सूचना RPVT में प्रवेश के संबंध में चाही गयी है जिनका आपस में कोई संबंध ही नही है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में दिनांक 15.09.2014 को सुनाया गया। निर्णय प्रति संबधित पक्षों को भिजवायी जावे।

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर